(b) the steps being taken to make the election process peaceful?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON): (a) The percentage of poll according to preliminary assessment in the Mid-term Elections held in West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh and Punjab in February, 1969 was as follows:—

1. West Bengal	66.58%
2. Bihar	50.47%
3. Uttar Pradesh	53.50%
4. Punjab	71.67%

(b) The elections were held, by and large, in a peaceful and orderly manner. However, the Election Commission are examining proposals to ensure orderly and peaceful poll.

भिक्षा वृत्ति के उन्मूलन के लिए अध्ययन दल

*86. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने देश में भीख मांगने की प्रवृत्ति को समाप्त करने हेतु 1965 में भिखारियों की समस्याओं पर विचार करने के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अध्ययन दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हाँ, तो रिपोर्ट में क्या मुख्य सिफारिशें हैं; और

(घ) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) तथा (ख). हाँ, श्रीमान।

(घ) सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रमों का, जिन में भिक्षावृत्ति की रोकथाम तथा नियन्त्रण शामिल हैं, प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार ये सभी कार्यक्रम अब राज्य योजनाओं में शामिल होंगे और उन्हें कार्यान्वित भी राज्य ही करेंगे।

योजना आयोग द्वारा स्थापित किए गए भिक्षावृत्ति सम्बन्धी अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(1) दण्ड अथवा अर्थ-दण्ड के उपागम की नीति को सभी भिखारियों पर लागू करना अपर्याप्त है और इसलिए उसे अपनाए जाने में विभेद किया जाए। जो भिखारी आर्थिक रूप से कमजोर हैं तथा भिक्षा की प्रवृत्तियों में पाए गए हों उन्हें प्राथमिक रूप से सामाजिक सहायता की आवश्यकता है, जबकि अन्यों के लिए सुधारात्मक उपागम की जरूरत है।

(2) सामाजिक सहायता का उपागम बनाने के लिये राहत प्रदान करने का आधार भिक्षा के खुले कार्य के स्थान पर जरूरत की परिस्थितियां हों।

(3) सामाजिक सहायता उपागम को अपनाने के लिए कानूनी सहारे की आवश्यकता है ताकि सहायता दिए जाने वाले वर्गों को परिभाषित किया जा सके।

(4) चुने हुए क्षेत्रों विशेषतया यात्रा और पर्यटन केन्द्रों में भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए मार्गदर्शी प्रायोजनाओं के रूप में श्रम प्रधान कार्यक्रम शुरू किए जायें।

(5) वर्गीकरण केन्द्रों, कार्य केन्द्रों तथा रोगी भिखारियों के लिए विशेष गृहों, जैसी विभिन्न प्रकार की संस्थाएं भिक्षावृत्ति उन्मूलन कार्यक्रम के एक समाकल भाग के रूप में स्थापित की जाएं।

Agricultural Development and Research Programme

*87. SHRIMATI SAVITRI SHYAM: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state: